5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3672

निगरानी प्रकरण क.

बालाराम पिता तुलसीरामजी जाति भील आयू करीब 40 साल धंधा कृषि निवासी ग्राम बछोडिया तहसील पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र.।

...........आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन ....अनावेदक / रेस्पांडेन्ट

प्रथम निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

"न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपलौदा (राजस्व निरिक्षक वृत्त –1 कालूखेडा) जिला रतलाम म.प्र के न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण कमांक 50अ–12 / 2016–2017 बालाराम विरूद्ध शासन मै पारित आदेश दिनांक 22.7.2017 से असन्तुष्ट होकर"

C.F. 27-10-17

27-10-17

20-9-17

(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2017/3672

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील पिपलौदा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के स्वयं के आवेदन पर सीमांकन हुआ है । सीमांकन के संबंध में आवेदक द्वारा केवल अस्पष्ट बिन्दु उठाये गये हैं । आवेदक द्वारा स्वयं का दूसरे की जमीन पर कब्जा पाये जाने से यह निगरानी की गई है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	